Coal India Limited Coal Bhawan

Premises No.04, Plot No. AF-III, Action Area 1A, New Town, Rajarhat, Kolkata 700 156 WB (India) Website: www.coalindia.in



HRD Division

Fax No.: 033-23244203 Phone No: 033-71104272 Mail Id: gmhrd.cil@coalindia.in

(An ISO 9001:2015 & ISO 50001:2011 Certified Company)

Ref No: सीआईएल /एचआरडी /संकाय मानदेय./2020-21/14702

कार्यालय ज्ञापन विषय: संकाय मानदेय में वृद्धि

सीआईएल बोर्ड की 12 जून, 2020 को आयोजित 405 वीं बैठक में सीआईएल और अनुषंगी कंपनियों द्वारा आयोजित इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संकाय सदस्यों को भुगतान की जाने वाली नई मानदेय दरों को अनुमोदित किया है। तदुपरांत, मानदेय की संशोधित दर इस प्रकार होगी:

विवरण	सीआईएल / अनुषंगीयों में वर्तमान दर (रु. में)	सीआईएल / अनुषंगीयों में नया मानदेय (रु. में)
सेवारत या सेवानिवृत्त गैर-अधिकारी संकाय सदस्य	200	500
सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी संकाय सदस्य (ई-1 से ई-3)	500 (ई-1 को छोड़कर)	1000
सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी संकाय सदस्य (ई-4 से ई-6)	500	1250
सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी संकाय सदस्य (ई-7 और ऊपर)	650	1500
गैर-सीआईएल संगठन से बाहरी संकाय सदस्य	750	2000
सीआईएल और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के सेवारत या सेवानिवृत्त निदेशक और सीएमडी	1000	2500

सीआईएल में सेवारत या सेवानिवृत्त गैर-अधिकारी / अधिकारी (ई 7 और इसके ऊपर) का एक प्रशिक्षण मॉड्यूल में 4 से अधिक सत्र नहीं होने चाहिए तथा सीआईएल में सेवारत या सेवानिवृत्त निदेशक एवं सीएमडी तथा बाहरी गैर-सीआईएल संकाय सदस्य का एक प्रशिक्षण मॉड्यूल में 3 से अधिक सत्र नहीं होने चाहिए।

ये दरें प्रति सत्र के 90 मिनट के लिए हैं और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

यह लर्निंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत दरों सहित सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित पिछले सभी मानदेय दरों का स्थान लेगा।

एस के सिंह

महाप्रबंधक (एचआरडी एवं सीएसआर)

वितरण:-

- 1. निदेशक (तक.) / निदेशक (का. एवं औ.स.) / निदेशक (वित्त) / निदेशक (विपणन), सीआईएल
- 2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल / सीसीएल / सीएमपीडीआईएल / ईसीएल / एमसीएल / एनसीएल / एसईसीएल / डब्ल्यूसीएल
- 3. सीवीओ, सीआईएल
- 4. निदेशक (का.) / निदेशक (वित्त), बीसीसीएल / सीसीएल / ईसीएल / एमसीएल / एनसीएल / एसईसीएल / डब्ल्यूसीएल
- 5. निदेशक (टी / ईएस), सीएमपीडीआईएल
- 6. महाप्रबंधक/ अध्यक्ष के तकनीकी सचिव
- महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष (एचआरडी), बीसीसीएल / सीसीएल / सीएमपीडीआईएल / ईसीएल / एमसीएल / एनसीएल / एसईसीएल / डब्ल्यूसीएल
- 8. महाप्रबंधक, एनईसी
- 9. विभागाध्यक्ष (प्रणाली), सीआईएल सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन और सूचना के लिए सीआईएल वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

Coal India Limited Coal Bhawan

Premises No.04, Plot No. AF-III, Action Area 1A, New Town, Rajarhat, Kolkata 700 156 WB (India) Website: www.coalindia.in



HRD Division

Fax No.: 033-23244203 Phone No: 033-71104272 Mail Id: gmhrd.cil@coalindia.in

(An ISO 9001:2015 & ISO 50001:2011 Certified Company)

Ref No: CIL/HRD/Faculty Hon./2020-21/14702

Date: 25/06/2020

Office Memorandum Subject: Enhancement of Faculty Honorarium

CIL Board in its 405th meet held on 12th June' 2020 has approved the new honorarium rates to be paid to faculty members for in-house training program organized by CIL and Subsidiaries. Henceforth, the revised rate of honorarium will be as follows:

Particulars	Existing Rate CIL/ Subsidiaries (in Rs.)	New Honorarium for CIL/ Subsidiaries (in Rs.)
Serving or Retired Non-Executive Faculty Member	200	500
Serving or Retired Executive Faculty Member (E1 to E3)	500 (Except E1)	1000
Serving or Retired Executive Faculty Member (E4 to E6)	500	1250
Serving or Retired Executive Faculty Member (E7 & above)	650	1500
External faculty from non-CIL Organization	750	2000
Serving or retired Director & CMD of CIL & other PSUs	1000	2500

Serving or Retired Non-Executive/Executive (E7 & above) of CIL should not get more than 4 sessions in a training module and Serving or Retired Director & CMD of CIL & External Non-CIL faculty should not get more than 3 sessions in a training module.

The rates are for per session of 90 minutes and will be applicable with immediate effect.

This will supersede all previous honorarium rates approved by the CIL Board including the rates under Learning and Development Policy.

General Manager (HRD & CSR)

Distribution:-

- 1. D (T)/D (P&IR)/D (F)/D (M), CIL
- 2. CMD, BCCL/CCL/CMPDIL/ECL/MCL/NCL/SECL/WCL
- 3. CVO, CIL
- 4. D (P)/D (F), BCCL/CCL/ECL/MCL/NCL/SECL/WCL
- 5. D (T/ES), CMPDIL
- 6. GM/TS to Chairman, CIL -
- 7. GM/HoD (HRD), BCCL/CCL/CMPDIL/ECL/MCL/NCL/SECL/WCL
- 8. GM, NEC
- 9. HOD (System), CIL with a request to please upload the same on CIL website for information and compliance by all concerned.